





राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग0/2533-II/12

जिला-रीवा

मोतीलाल ब्रा0/ लालमणि ब्रा0 वगैरः

(1)	(2)
19.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अभिताब चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 54/ए-6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 29.05.12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p style="text-align: left;"></p>